?IMNAL
OF

MG
260120

(2)

...ash Kushwaha
Vs
State of U.P. and another

~~Appeal~~ ____________

Revision ____________ No. 2193/2021

Reference ____________

Miscellaneous

Arising out of Session Trial No.- 95/2018 and case crime no.- 0392/2017

Encl.
Two certified copies of Hon'ble court order dated 10/11/2021

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD
LETTER FORWARDING COPY OF
COURT'S JUDGEMENT OR ORDER
(Chapter XVIII, Rule 43 or 44)

ADJ 14
A/...
46A

dated ______ the Allahabad ~~Lucknow~~ day of ______ 20

To,

The SESSIONS JUDGE OF

4634
09.22

Jhansi

Order dated 10/11/2021

Sir,

I am directed to forward for your information and communication to the parties a copy of the Court's Order in the case noted on the margin.

An extra copy of the Court's Order is also enclosed herewith for communication to the Magistrate concerned through the District Magistrate of.

I am to request you to report to this Court as soon as the order has been noted and complied with by all concerned.

10-1-22

For Your's Faithfully,
Deputy Registrar.

P.T.O.

Ashok
3/1/2022

3
46A
2

Challenging the order dated 03.09.2021 passed by Additional Session Judge [FTC], Jhansi [State Vs Prakash Kushwaha & Ors] passed in Session Trial No. 95/2018, arising out of Case Crime No. 0392/2017, under Section 376 & 354 I.P.C., Police Station Chirgaon, District Jhansi.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

****

CRIMINAL REVISION NO. 2193 **OF 2021**

[Under Section 397/401 of Cr.P.C.]

DISTRICT- JHANSI

Prakash Kushwaha S/o Shri Bal Kishun Kushwaha, Resident of Mohalla Talabpura, Kasba Chirgaon, Police Station Chirgaon, District Jhansi.

2A-26-21
Received Notice
16/9/21
For Government Advocate
High Court Allahabad
REV.
CRL.

----------Revisionist

Versus

1. State of U.P.
2. Smt. Jamwanti W/o Govind Das, R/o Hardoul Mandir, Talabpura, Kasba Chirgaon, Police Station Chirgaon, District Jhansi.

----------Opposite Parties

This present Criminal Revision is being preferred against the order dated 03.09.2021 passed by Additional Session Judge [FTC], Jhansi [State Vs Prakash Kushwaha & Ors], passed in Session Trial No. 95/2018, arising out of Case Crime No. 0392/2017, under Section 376 & 354 I.P.C., Police Station Chirgaon, Jhansi, by which the applicant filed by the first informant/victim, U/s 311 Cr.P.C. was allowed, in an arbitrary manner against the

22-1-22

Court No. - 77

Case :- CRIMINAL REVISION No. - 2193 of 2021

Revisionist :- Prakash Kushwaha
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Revisionist :- Hitesh Pachori
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Gautam Chowdhary,J.

निगरानीकर्ता की ओर से यह दाण्डिक निगरानी, मु0अ0सं0 0392 सन 2017, अन्तर्गत धारा 376, 354 भा0दं0वि0, थाना चिरगांव, जिला झाँसी से उद्भूत सत्र परीक्षण सं0 95 सन 2018 में एडिशनल सेसन जज, एफ0टी0सी0, झाँसी द्वारा पारित आदेश दि0 3–9–2021 के विरूद्ध दायर की गयी है।

निगरानीकर्ता की ओर से पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया, इसे पत्रावली पर रखा जाय।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि संबंधित अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय साक्ष्यों की अनदेखी की गयी है, उनका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, विपक्षी सं0 2 ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढ़न्त, असत्य एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर लिखायी गयी है, तथाकथित घटना दि0 31–8–2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 के आवेदन पत्र के आधार पर पंजीकृत हुयी है, जिसमें बलात्कार के तिथि एवं समय का उल्लेख नहीं किया गया है तथा आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के पश्चात विपक्षी सं0 2 का अभियोजन साक्षी सं0 1 के रूप में परीक्षण किया गया तथा प्रतिपरीक्षण में उसने घटना का समर्थन नहीं किया, यदि कोई साक्षी प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं करता है तो उस परिस्थिति में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को साक्षी से प्रतिपरीक्षा करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी। उनका यह भी कथन है कि उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने एवं अभियोजन साक्षी सं0 1 को वास्ते प्रतिपरीक्षा आहूत करना, विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, इसलिए प्रश्नगत आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अभि0 साक्षी सं0 1 ने प्रतिपरीक्षा में जो भी बयान अभियुक्तगण के पक्ष में दिए थे, वे उनके द्वारा भीषण धमकी एवं दबाववश दिए गए थे, जो कि प्रश्नगत निर्णय से ही स्पष्ट हैं।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का परिशीलन किया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना पर आधारित हैं एवं सकारण आदेश है तथा अवर न्यायालय ने यह पाया है कि चूँकि साक्षिया न्यायालय में सही तथ्य

46A/4

कहना चाहती है और उसके अनुसार पूर्व में उसने अभियुक्तगण के दबाव व धमकी के कारण सही बात नहीं बतायी थी और वह सही बात न्यायालय में बताना चाहती है, ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह देखना है कि न्यायालय के समक्ष सही तथ्य आने चाहिए और ऐसे तथ्य बिना किसी भय या दबाव के आना संभव है अथवा नहीं और यदि साक्षी सही तथ्य न्यायालय के समक्ष बताना चाहती है तो ऐसे साक्षी को सही तथ्य बताये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्याय संगत है। इस प्रकार मेरे विचार से संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दि0 3–9–2021 उचित हैं तथा उसमें कोई सारवान अनियमितता या अनौचित्यता या कोई प्रकिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने संबंधित निगरानीकर्ता की प्रार्थना निरस्त किए जाने तथा प्रश्नगत आदेश पुष्ट किए जाने योग्य है।

तद्नुसार यह दाण्डिक निगरानी **निरस्त** की जाती है तथा उपरोक्त वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दि0 3–9–2021 की पुष्टि की जाती है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

दि0 : 10–11–2021 Sd/- Gautam Chowdhary, J.

के0सी0सिंह

TRUE COPY
22-01-2022
Assistant Registrar
Copying Misc. Section
High Court-Allahabad

Enby
22-1-22